न्यायालय– अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश
पी0सी0एक्ट कोर्ट नं0–8,लखनऊ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–7357 / 2022
सीएनआर नं0 यूपीएलकेओ10126222022

अनुप दुबे पुत्र राम सहाय दुबे निवासी–टीचर कालोनी वार्ड नं0–11, खड्डा जनपद–कुशीनगर, हालपता–स्टार हाईट अपार्टमेन्ट प्रथम तल रूम नं0–101 आतिफ बिहार कालोनी, तिवारीगंज, लखनऊ।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0सरकार

.....अभियोगी

मु0अ0सं0–191 / 2022
धारा–406,420,467,468,471 भा0दं0सं0
थाना–बी0बी0डी0,जनपद–लखनऊ।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

<u>दिनांक–23.08.2022</u>

प्रार्थी / अभियुक्त अनुप दुबे की ओर से मु0अ0सं0–191 / 2022 धारा–406,420,467,468,471 भा0दं0सं0 थाना–बी0बी0डी0, जिला लखनऊ में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ पैरोकार राम सहाय दुबे का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा प्रपत्रो का अवलोकन किया।

फर्द बरामदगी के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक श्री डी0के0शाही के पर्यवेक्षणाधीन टीम अभिसूचना संकलन की कार्यवाही तथा पतारसी सुरागरसी में मामूर थे दिनांक 08.08.2022 को वादी उप निरीक्षक अतुल चतुर्वेदी व अन्य पुलिस बल द्वारा मय वाहन सरकारी यूपी32 सीजी 0032 चालक अवधेश यादव के एस0टी0एफ0 मुख्यालय से रवाना होकर बीबीडी क्राउन माल के पास मुखबिर को साथ लेकर पहुॅचा। क्राउन माल से आगे करीब 200 कदम दूर मुख्य फैजाबाद मार्ग पर एक व्यक्ति हाथ में लिफाफा लिये खड़ा था जिसे देखकर मुखबिर ने बताया कि यही वह व्यक्ति है यह कहकर मुखबिर हट गया। जैसे ही वे लोग उस व्यक्ि के नजदीक पहुॅचे उन लोगों को देखकर घबड़ा कर भागने लगा तुरन्त ही दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये

व्यक्ति से नाम पता कर जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम अनुप दुबे पुत्र राम सहाय दुबे बताया। जामा तलाशी से पहिने हुये पैन्ट की दाहिनी जेब से कुल 740/–रूपये व 2 अदद मोबाइल सैमसंग गलेक्सी ए–13 आईएमईआई 352192665314307, 353383125314305, विवो 1851 आईएमईआई 8609990490264455, 8609990499026448 बरामद हुआ तथा हाथ में पकड़े हुये लिफाफे में रखे हुये 2 अदद प्रपत्र जिस पर अति गोपनीय उ0प्र0 सरकार का मोनो ग्राम नि0क0प्र0सं0 नियुक्ति संदीप प्रजापति पुत्र नन्द लाल प्रजापति निवासी ग्राम मानिकपुर थाना दोहरीघाट जनपद मउ के परिचालक पद पर स्थायी नियक्ति प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक हस्ताक्षर अपठनीय 2 अति गोपनीय नियुक्ति नरेश राय पुत्र सुशील कुमार राय, निवासी ग्राम अमला हतसील घोसी जनपद मउ हस्ताक्षर नियुक्ति एवं कार्मिक अंकित है। पकड़े गये व्यक्ति से बरामद नियुक्ति पत्रों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो अपना गलती की माफी मागते हुये बताया कि दोनों नियुक्ति पत्र फर्जी है जिसको मैंने नरेश और संदीप को देने के लिय बनाया था। दौरान कार्यवाही नरेश राय पुत्र सुशील कुमार राय व संदीप प्रजापति पुत्र नन्द लाल प्रजापति हम लोगों को देखकर उपस्थित आया और अपना नाम पता बताने लगे कि यह व्यक्ति हम लोगों से अपने आपको माननीय परिवहन मंत्री का करीबी व पी0एस0 बताता है और परिवहन विभाग में नौकरी के नाम पर कई बार में एक लाख रूपये एडवांस लिया था। पकड़े गये का यह कृत्यु धारा 406, 420, 467, 468, 471 भा0ंद0ंस0 का दण्डनीय अपराध है कारण गिरफ्तारी बता समय 19.00 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। बरामद शुदा दोनों नियुक्ति पत्रों की फोटो मोबाइल फोन से खींचने के उपरान्त एक ब्राउन लिफाफे में रखकर सील बन्द सर्वमोहर किया गया। नमूना मोहर तैयार की गयी। दौराने गिरफ्तारी जनता के तमाम लोग इक्ट्रा है परन्तु भलाई बुराई वश गवाही हेतु तैयार नहीं हो रहे है। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकारी आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारी मेमो मौक`पर तैयार कियागया। जामा तलाशी से बरामद 740/–रूपये नकद दो मोबाइल फोनो को अलग अलग चिट बन्दी किया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त के पिता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायाय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें में दिनांक 08.08.2022 को एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार करके थाना बी0बी0डी0, जनपद लखनऊ में पंजीकृत कराकर

दिनांक 08.08.2022 को जेल भेजा गया है। वादी मुकदमा एस0टी0एफ0 के उप निरीक्षरा द्वारा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा कोईभी शिकायत प्रार्थना पत्र किसी भी थाने में नहीं दिया गया है। उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट /फर्द बरामदगी में नरेश व संदीप नाम के दो व्यक्ति को फर्जी नियुक्ति पत्र देने की बात बतायी गयी है परन्तु नरेश व संदीप द्वारा भी किसी भी थाने में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट/फर्द बरामदगी में नरेश व संदीप ने एक लाख रूपये एडवांस प्रार्थी/अभियुक्त को देने की बात बतायी है परन्तु उपरोक्त लोगों ने जो एक लाख रूपया प्रार्थी/अभियुक्त को दिया है उसको कब और कहां दिया है यह नहीं बताया है और न ही उपरोक्त पैसा देने का कोई साक्षी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट/फर्द बरामदगी के अनुसवार प्रार्थी/अभियुक्त के पास से 740/—रूपये व 2 अद मोबाइल बरामद होना बताया गया है जो कि प्रार्थी/अभियुक्त का है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से लिफाफे में रखे 2 अदद प्रपत्र बरामद होना बताया गया है जो गलत है। जो लिफाफा बरामद होना बताया गया है वह लिफाफा किस रंग व किस आकार का है इसका वर्णन प्रथम सूचना रिपोर्ट/फर्द बरामदगी में नहीं किया गया है। लिफाफे से प्राप्त 2 अदद नियुक्ति पत्र बरामद होना भी बताया गया है परन्तु उक्त नियुक्ति पत्र किस आकार का एवं किस विभाग का है उस पर हस्ताक्षर किसके है इसका वर्णन नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट/फर्द बरामदगी में प्राप्त नियुक्ति पत्र जिस भी विभाग का है उस विभाग से जारी हुआ है या नहीं, इसका भी सत्यापन संबंधित विभाग से नहीं कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यूज 18 मेंपत्रकार है एवं प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा एस0टी0एफ0 की कार्यप्रणाली को लकर खबर चलायी गयी थी जिससे एफ0टी0एफ0 के अधिकारीगण प्रार्थी/अभियुक्त से काफी नाराज थे जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विद्वेषपूर्ण कार्यवाही करके उसे फर्जी एवं मनगढ़न्त व झूठे तथ्यों के आधार पर फर्जी तरीके से फंसाया है। वादी मुकदमा एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रार्थी/ अभियुक्त की गिरफ्तारी बी0बी0डी0 से किया जाना बताया गया है जो कि बहुत ही भीड़भाड़ वाली जगह है परन्तु गिरफ्तारी का कोई भी जनसाक्षी एवं चक्षुदर्शी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में फर्जी एवं गलत तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2022 को न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त कर दिया गया । प्रार्थी/अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानते प्रस्तुत करने को तैयार है।

प्रार्थी/अभियुक्त जमानत की प्रत्येक शर्तो का अक्षरशः पालन करेगा। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

अभियोजन के ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि एस0टी0एफ0 द्वारा अभियुक्त को गिरफतार किया गया। मौके से उसके पास से दो अदद कूट रचित फर्जी नियुक्ति पत्र संदीप प्रजापति पुत्र नन्द लाल प्रजापति निवासी ग्राम मानिकपुर थाना दोहरी घाट जनपद मऊ के परिचालक पद पर स्थायी नियक्ति प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक हस्ताक्षर अपठनीय 2 अति गोपनीय नियुक्ति नरेश राय पुत्र सुशील कुमार राय, निवासी ग्राम अमला तहसील घोसी जनपद मऊ हस्ताक्षर नियुक्ति एवं कार्मिक अंकित है, बरामद किये गये। इन बरामद शुदा नियुक्ति पत्रों के खण्डन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में जहॉतक इस तथ्य का प्रश्न है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द बरामदगी में प्राप्त नियुक्ति पत्र किस विभाग का है किस विभाग द्वारा जारी हुआ है इसका सत्यापन संबंधित विभाग से नहीं कराया गया तो यह सत्यापन संबंधी विवेचना/साक्ष्य का प्रश्न है जो उचित अवसर आने पर इसके परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जायेगी तथा शपथ पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वंय ही एक लाख रूपये लेने का कथन किया है लेकिन इसके साथ साथ यह भी कथन किया गया कि उसको कब और कहॉ रूपया दिया गया यह कहीं उल्लिखित नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, यह भी साक्ष्य का प्रश्न है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण की जॉच एस0टी0एफ0 की जा रही है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। क्योंकि प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **अनुप दुबे** का जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–मु0अ0सं0–191/2022 धारा–406,420,467,468,471 भा0दं0सं0 थाना–बी0बी0डी0, जिला लखनऊ निरस्त किया जाता है।

(शालिनी सागर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
पी0सी0एक्ट कोर्ट नं0 8,लखनऊ